



ग्रामीण खाद्य आपूर्ति भण्डार, भर्ती विभाग,  
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

अधिकारिक टोल फ्री नं०-18005728576

दिनांक:-25.03.2021

विज्ञापन क्रमांक-ग्रा०खा०आ०भ०भ०वि० / 23(3)21ए / lko

ज्ञापन:-534ए / 21

ग्रामीण खाद्य आपूर्ति भण्डार, भर्ती विभाग, लखनऊ, उ०प्र०, विज्ञापन क्रमांक-ग्रा०खा०आ०भ०भ०वि० / 23(3)21ए / lko के अन्तर्गत 1038 (एक हजार अठतीस) रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाईन आवेदन करते हुये विस्तृत दिशा निर्देश को आधिकारिक वेबसाईट <https://www.rufss.co.in> पर प्रदर्शित है। इन रिक्त 1038 पदों की विवरणी निम्नलिखित है:-

1.

पद नाम	पद कोड	कुल रिक्तियां	रिक्तियों का वर्गीकरण					क्षैतिज आरक्षण	
			अनारक्षित (UR)	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	अनुसूचित जाति (SC)	अनुसूचित जनजाति (ST)	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)	दिव्यांग जन (PWD)	भूतपूर्व सैनिक(ESM)
खंड प्रबन्धक	1	900	360	243	144	09	90	36	18
जिला प्रबन्धक	2	75	30	20	12	1	07	3	2
क्षेत्रीय प्रबन्धक	3	18	7	5	3	0	2	1	0
कम्प्यूटर ऑपरेटर	4	25	10	7	4	0	3	0	1
चपरासी	5	20	8	5	3	1	2	1	0
	कुल	1038 पद							

## 2. शैक्षणिक योग्यता:-

पदनाम	शैक्षिक योग्यता
खंड प्रबन्धक	इण्टर मीडिएट (पास)
जिला प्रबन्धक	स्नातक पास
क्षेत्रीय प्रबन्धक	स्नातक पास
कम्प्यूटर ऑपरेटर	इण्टरमीडिएट व कम्प्यूटर डिप्लोमा (CCC व समकक्ष)
चपरासी	हाईस्कूल (मैट्रिक पास)

## 3. वेतनमान:-

क्र०सं०	पदनाम	ग्रेड-पे
1.	खंड प्रबन्धक	(5200-20,200) G.P. 1900/ Level-2
2.	जिला प्रबन्धक	(5200-20,200) G.P. 2000/ Level-3
3.	क्षेत्रीय प्रबन्धक	(5200-20,200) G.P. 2400/ Level-4
4.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	(5200-20,200) G.P. 1900/ Level-2
5.	चपरासी	(5200-20,200) G.P. 1800/ Level-1

- आयु सीमा:- दिनांक 01.03.2021 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष।
- आयु में अनुमन्य छूट:- (a) अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों को जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।  
(b) भूतपूर्व सैनिक (यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो), जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, की वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में की गई सेवा अवधि कम करते हुये परिणाम जन्य आयु उस पद /सेवा के निमित्त जिसके लिये वह नियुक्ति के लिए इच्छुक है विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।  
(c) दिव्यांगजनों (**PWD Candidates with 40% above disability**) के अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है।

नोट:- “आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को उपरोक्तानुसार आयु में केवल एक ही छूट जो लाभकारी हो अनुमन्य होगी।”

6. आरक्षण:- अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), दिव्यांगजन (PWD), भूतपूर्व सैनिक (EXSM) तथा आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के उम्मीदवारों को लागू नियमानुसार आरक्षण का लाभ प्रदान करते हुये आरक्षित पद की संख्या विज्ञापित रिक्तियों हेतु दी गई तालिका के अनुसार होंगे। आरक्षण का लाभ लेने हेतु उत्तर प्रदेश (उ0प्र0) का मूल निवासी होना आवश्यक है। वे उम्मीदवार जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, अनारक्षित श्रेणी (UR) के अन्तर्गत आवेदन करें। जाति के अनुसार आरक्षण लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को ही मिलेगा।

नोट:- ऑनलाईन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

7. आवेदन शुल्क:-आवेदन शुल्क अप्रतिदेय है:-

अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी। (उ0प्र0 के मूल निवासी)	600/- रूपये मात्र
अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी (उ0प्र0 के मूल निवासी)	400/-रूपये मात्र
दिव्यांगजन श्रेणी (उ0प्र0 के मूल निवासी)	350/-रूपये मात्र
भूतपूर्व सैनिक श्रेणी (उ0प्र0 के मूल निवासी)	600/-रूपये मात्र

(a) आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड/ QR/सभी वॉलेट द्वारा स्वीकार किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से आवेदन शुल्क जमा नहीं होगा। जमा करने की विधि वेबसाईट [www.rufss.co.in](http://www.rufss.co.in) पर उपलब्ध है, बैंक चार्जस अभ्यर्थी द्वारा अलग से देय होंगे।

(b) आवेदन शुल्क के मद में जमा की गयी धनराशि किसी भी दशा में न तो वापस की जायेगी और न ही स्थानान्तरित अथवा किसी अग्रिम चयन हेतु सुरक्षित नहीं की जायेगी।

8. परीक्षा का प्रकार:-ऑफलाईन/ऑनलाईन किसी भी स्तर पर लिया जा सकता है। यह अभ्यर्थियों के संख्या पर निर्धारित होगी।

9. परीक्षा स्थान:-लिखित परीक्षा आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, मेरठ एवं नोएडा शहर में होगी। अभ्यर्थियों के संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदला अथवा घटाया/बढ़ाया जा सकता है। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं Shortlisted अभ्यर्थियों का अभिलेखीय परीक्षण (Document Verification) लखनऊ जनपद में होगा।

10. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से सम्बन्धित तिथि एवं अन्य निर्देश:-

1. ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	दिनांक-02.04.2021
2. ऑनलाईन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि	दिनांक-30.04.2021

11. चयन प्रक्रिय:- खण्ड प्रबन्धक पद हेतु प्रारम्भिक परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर, जिला प्रबन्धक व क्षेत्रीय प्रबन्धक पद हेतु प्रारम्भिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर, कम्प्यूटर ऑपरेटर पद हेतु प्रारम्भिक परीक्षा एवं कम्प्यूटर टाईपिंग टेस्ट (हिन्दी/अंग्रेजी) के आधार पर एवं चपरासी पद हेतु साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

(a) प्रारम्भिक परीक्षा:- सामान्य बुद्धि व तर्क, सामान्य जागरूकता, संख्यात्मक योग्यता (बुनियादी अंकगणित कौशल) व अंग्रेजी समझ (बेसिक नॉलेज) विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि 90 मिनट की होगी और कुल अंक 200 होंगे। प्रत्येक पर 25 प्रश्न होंगे। गलत उत्तर प्राप्त होने पर 0.5 अंक काट लिये जायेंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन आपेक्षित होगा। प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को अग्रिम जानकारी हेतु आधिकारिक वेबसाईट [www.rufss.co.in](http://www.rufss.co.in) को देखें।

क्र०सं०	विषय	प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	कुल समय अवधि
1.	सामान्य बुद्धि व तर्क	25	50	90 मिनट
2.	सामान्य जागरूकता	25	50	
3.	संख्यात्मक योग्यता	25	50	
4.	अंग्रेजी समझ	25	50	
	कुल =	100	200	

उक्त विषयों का पाठ्यक्रम आधिकारिक वेबसाईट पर आवेदन से पूर्व उपलब्ध होगी।

(b) मुख्य परीक्षा:- जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए अनिवार्य हैं उनके लिए आवश्यक विषयपरीक्षा।

क्र०सं०	विषय	प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	कुल समय अवधि
1.	अंग्रेजी	25	50	90 मिनट
2.	सामान्य बुद्धि	25	50	
3.	हिन्दी	50	100	
	कुल =	100	200	

प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्राप्तांक में से 0.5 अंक काट लिये जायेंगे।

**नोट:-** जो अभ्यर्थी कम्प्यूटर ऑपरेटर पद के लिए चयनित होते हैं उनके लिए हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में से कोई भी स्वेच्छानुसार चयन करके अपनी परीक्षा दे सकेंगे। इस परीक्षा हेतु कुल 200 अंक निर्धारित होंगे। इस परीक्षा हेतु कल समय अवधि 45 मिनट का दिया जायेगा।

(c) साक्षात्कार हेतु:- साक्षात्कार का पूर्णांक 150 अंकों का होगा।

**12. टाई ब्रेकिंग नियम:-** यदि एक से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में सामान्य अंक प्राप्त करते हैं तो ऐसी स्थिति में अन्तिम चयन में टाई ब्रेकिंग नियम निम्न प्रकार में होंगे:-

- (i) उस अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी जिसके Part-1 अर्थात् कोर विषय में अधिक अंक होंगे।
- (ii) यदि (i) सामान्य हो तो Part-2 (General Awareness etc.) में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।
- (iii) यदि (i) एवं (ii) दोनों सामान हो तो जन्म तिथि के अनुसार अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

**13. अनापत्ति प्रमाण पत्र:-** यदि कोई अभ्यर्थी किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी/गैर सरकारी विभाग/प्राइवेट में कार्यरत है तो उसे नियुक्ति के समय अपने विभागाध्यक्ष द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत करना आवश्यक है।

**14. वैवाहिक स्थिति:-** ऐसे पुरुष/महिला अभ्यर्थी जो एक से अधिक जीवित पत्नी/पति रखते हो चयन हेतु अर्ह नहीं होंगे।

**नोट:-(1)** साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय निम्नलिखित प्रमाण-पत्र मूल में (Original Copy) सत्यापन करने हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा-

1. मैट्रिक का प्रमाण-पत्र/अंक पत्र (जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए)।
2. स्नातक डिग्री प्रमाण-पत्र।
3. स्नातक अंक पत्र।
4. पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पिता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति की स्थिति में)।
5. पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित घोषणा पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर)। (दावा करने की स्थिति में)।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)।

7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत निवास प्रमाण पत्र)। (दावा करने करने स्थिति में)।
8. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक प्रमाण-पत्र। (दावा करने की स्थिति में)।
9. दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र। (दावा करने की स्थिति में)।
10. भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र।
11. पहचान पत्र (फोटोयुक्त)।
12. हाल का खिंचा हुआ 4 (चार) फोटो।

उपर्युक्त प्रमाण-पत्र साक्षात्कार के समय मूल में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी प्रभावित/रद्दी होगी तथा आयोग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

- (ii) ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश इस विज्ञापन के सज्ञथ संलग्न है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं का मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- (iii) उम्मीदवार डैश बोर्ड पर अंकित नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।
- (iv) ऑनलाइन आवेदन में अंकित E-mail ID, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।
- (v) मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है।
- (vi) इन्टरनेट बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।


- (vii) उम्मीदवार हाल का खिंचा हुआ अपना एक फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।
- (viii) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।
- (ix) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
- (x) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर Registration Number एवं Submitted Application Number अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा तथा अभ्यर्थी/आवेदक को प्रवेश-पत्र नहीं निर्गत किया जाएगा और न ही उन्हें परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा।
- (xi) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास ऑनलाईन आवेदन भरते समय उपलब्ध हैं।

#### 15. महत्वपूर्ण निर्देश:-

- अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध "Download Filled Application Section" से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र/कागजात, परीक्षा शुल्क भुगतान की बैंक रसीद की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा सत्यापन के समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में संलग्न प्रमाण-पत्रों की सूची में अंकित प्रत्येक प्रमाण-पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण-पत्र निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे।
- योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है।
- अभ्यर्थी को सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल में साक्षात्कार के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र मूल में साक्षात्कार के समय प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी प्रभावित/रद्द होगी तथा विभाग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
- इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ विभाग के वेबसाइट [www.rufss.co.in](http://www.rufss.co.in) पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।

5. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश विभाग के वेबसाइट [www.rufss.co.in](http://www.rufss.co.in) पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही, अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
6. आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
16. हेल्पडेस्क:-

हेल्पलाईन नं0-	18005728576
ईमेल-आई0डी0	<a href="mailto:info@rufss.co.in">info@rufss.co.in</a>

  
25.03.2021  
अध्यक्ष

ग्रामीण खाद्य आपूर्ति भण्डार,  
भर्ती विभाग,  
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।